संख्या-35/2024/001-179डब्लू-24-27-3099-259-2024

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 09 दिसम्बर, 2024**

विषय:एल0ए0 वाद संख्या-218/2005, प्रथम अपील संख्या-52/2014 तथा निष्पादन वाद संख्या-06/2013 रामचरन बनाम उ0प्र0 सरकार में मा0 अपर जिला जज, बिजनौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2012 के अनुपालन में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-503/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/पूर्वीगंगा, दिनांक 06.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-2, हरिद्वार से संबंधित एल0ए0 वाद संख्या-218/2005, प्रथम अपील संख्या-52/2014 तथा निष्पादन वाद संख्या-06/2013 रामचरन बनाम उ0प्र0 सरकार में मा0 अपर जिला जज, बिजनौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2012 के अनुपालन हेतु वित्तीय स्वीकृति रूपये 6,96,715.00 का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-2, हरिद्वार से संबंधित एल0ए0 वाद संख्या-218/2005, प्रथम अपील संख्या-52/2014 तथा निष्पादन वाद संख्या-06/2013 रामचरन बनाम उ0प्र0 सरकार में मा0 अपर जिला जज, बिजनौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2012 के अनुपालन हेतु वित्तीय स्वीकृति रूपये 6,96,715.00 (छ: लाख, छियानवे हजार, सात सौ पन्द्रह रूपये मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवर्त्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 6,96,715.00 (छ: लाख, छियानवे हजार, सात सौ पन्द्रह रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-19-050-10-16-24 पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।

6- मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद।

7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- कोषाधिकारी, बिजनौर।

9- अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण मण्डल, हरिद्वार।

10- अधिशासी अभियन्ता, पूर्वीगंगा नहर निर्माण खण्ड-2, हरिद्वार।

11- सिंचाई अनुभाग-9

12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सिद्धाशरण पाण्डेय

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।